

कार्यालय जिलाधिकारी गाजीपुर।

पत्रांक 265 /13-आपद/ -राहत सामग्री /2018-19  
आदेश

दिनांक 1 जून,2018

जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 31-05-2018 द्वारा वर्ष 2018 में सम्भावित बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किये जाने हेतु खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर खोलने वाली समिति की आख्या दिनांक 24-05-2018 के आधार पर ए0के0ट्रेडर्स, कचहरी रोड, गाजीपुर की प्रति पैकेट की दर 1545-00 रुपये जिसका रैंक एल-1 है, को दिये जाने की सहमति/अनुमोदन प्रदान की गयी है।

अतः ए0के0ट्रेडर्स, कचहरी रोड, गाजीपुर, प्रोपराईटर अनूप गुप्ता, मुहल्ला नवापुरा, कचहरी रोड गाजीपुर को आदेश दिया जाता है कि पत्रांक 117/13-आपदा/राहत सामग्री/2018-19 दिनांक 16 मई को निकाली गई ई-अल्पकालीन निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार वर्ष 2018 में बाढ़ आने की स्थिति में आपूर्ति आदेश निर्गत होने के दिनांक से 24 घण्टे के अन्दर खाद्यान्न की आपूर्ति करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगा।

अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)  
गाजीपुर।

दिनांक 1 जून,2018

पत्रांक 265 /13-आपद/ -राहत सामग्री /2018-19

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0शासन राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ।

2- जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर।

3- प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा गाजीपुर।

4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश को जनपद गाजीपुर की बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

5- समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद गाजीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6- ए0के0ट्रेडर्स, कचहरी रोड, गाजीपुर, प्रोपराईटर अनूप गुप्ता, मुहल्ला नवापुरा, कचहरी रोड गाजीपुर को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)  
गाजीपुर।